



हारा सरकार

कार्यालय :- प्रखण्ड कार्यालय पहाड़पुर, पूर्वी चम्पारण।

E-mail id- rtps.phr2@gmail.com

अनुसूची-3

जिला-पूर्वी चम्पारण।

नियोजन ईकाई प्रखण्ड प्राथमिक शिक्षक नियोजन ईकाई, पहाड़पुर।

कार्यालय आदेश

विभागीय पत्रांक- 33 दिनांक 18.01.2022 एवं आपांक 1141 दिनांक 22.10.2021 के आलोक में राजकीयकृत प्राथमिक विद्यालयों के लिए शारीरिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य अनुदेशक के स्वीकृत पद पर नियुक्ति हेतु उच्च सचिव, शिक्षा विभाग बिहार पटना के आपांक-623 दिनांक 12.06.2022, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना मोतिहारी के आपांक-2000 दिनांक-14.06.2022 के आलोक में आवेदित अभ्यर्थियों का काउन्सिलिंग दिनांक 24.06.2022 को किया गया है। फलस्वरूप पर्यन्त अभ्यर्थियों को प्रमाण पत्रों का प्राथमिक जाँच(बार कोड स्कैनिंग) के उपरान्त जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी के पत्रांक 2265 दिनांक 04.07.2022 के आलोक में दिव्यांस कुमार तिवारी पिता मार्कण्डेय तिवारी का शारीरिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य अनुदेशक के पद पर नियुक्ति हेतु चयन सामान्य कोटी में रोल्टर बिन्दु संख्या-15 तथा रोल्टर कोटी-UR के विरुद्ध किया गया है। यह नियुक्ति पूर्णतः औपचारिक होगी।

अतः दिव्यांस कुमार तिवारी को निदेश दिया जाता है कि यदि आप उक्त पद पर नियुक्त होना चाहते हैं तो 30 दिनों के अन्दर 300 300 वि० रायकररिया में अपना योगदान देना सुनिश्चित करेंगे। अन्यथा आपका दावा स्वतः समाप्त हो जाएगा।

1. संबंधित अभ्यर्थी विद्यालय में योगदान के समय सभी रोजगिक/प्रौद्योगिक प्रमाण पत्र /अंक पत्र, BTEC result card की स्वअभिप्रेक्षित छाया प्रति प्रधानाध्यापक/प्रधान शिक्षक को सभ्य प्रस्तुत करेंगे। साथ ही प्रमाण पत्रों आदि की सत्याता के संबंध में कार्यपालक पदाधिकारी के समक्ष लिया गया शपथ पत्र विहित प्रपत्र में प्रधानाध्यापक को अनिवार्य रूप से उपलब्ध करावेंगे।
2. योगदान के समय अभ्यर्थी को अवैतनिक शल्य चिकित्सक -सह- मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा निर्गत स्वास्थ्य प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक है।
3. योगदान के समय अभ्यर्थी को यहाँज नहीं लेने संबंधि घोषणा पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।
4. प्रमाण पत्र जारी/अपडेटिंग /गलत पाये जाने के विधिति में नियोजन पदाधिकारी के द्वारा नियोजन रद्द कर दी जाएगी। एवं आवश्यक कानूनी कारवाई की जाएगी।
5. संबंधित विद्यालय के प्रधान शिक्षक नियोजन ईकाई से संबंधित अभ्यर्थी के नियुक्ति पत्र का सत्यापन करने के उपरान्त ही योगदान स्वीकृत करेंगे।
6. उक्त नियमावली एवं समय-समय पर इस निर्मित अधिसूचित नियमावली में दर्शित सेवा शर्त संबंधित नव नियुक्त अभ्यर्थी पर प्रभावी होगा।

प्रखण्ड शिक्षक नियोजन ईकाई  
-सह-  
कार्यपालक पदाधिकारी,  
पहाड़पुर, पूर्वी चम्पारण।

आपांक 435 / दिनांक 09.07/22

प्रतिलिपि- संबंधित शिक्षक एवं प्रधानाध्यापक को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि- प्रखण्ड शिक्षा पदाधिकारी पहाड़पुर को आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि- जिला कार्यक्रम पदाधिकारी(स्थापना) पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

प्रखण्ड शिक्षक नियोजन ईकाई  
-सह-  
कार्यपालक पदाधिकारी,  
पहाड़पुर, पूर्वी चम्पारण।

31 pappu-2022